

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART.II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682] No. 1682] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2008/अग्रहायण 7, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2008/AGRAHAYANA 7, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2008

का.आ. 2815(अ).—केन्द्र सरकार दिनांक 27 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2130(अ) के अधिक्रमण में, एतदृद्वारा मई, 2009 के 31वें दिन को (31 तारीख को) उस तिथि के रूप में अधिसूचित करती है जिस तिथि को दिनांक 15 मार्च, 2008 की सं.सा.का.नि. 182(अ) के तहत अधिसूचित सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेंजिंग एवं लेबिलिंग) नियमावली, 2008 लागू की जाएगी।

[फा. सं. पी.-16017/1/2005-पी.एच.]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2008

S.O. 2815(E).—In supersession to the notification No. S.O. 2130(E) dated 27th August, 2008, the Central Government hereby appoints 31st day of May, 2009 as the date on which the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008 notified on 15th March, 2008 vide No. G.S.R. 182(E) shall come into force.

[F. No. P-16017/1/2005-PH]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.